इलाहाबाद विश्वविद्यालय

प्रयागराज -211002, उ0प्र0 (भारत)

UNIVERSITY OF ALLAHABAD

PRAYAGRAJ -211002, U.P. (INDIA)

पत्रांक: रा.भा./मंत्रालय/अनुपालन /2024/341

दिनांक: 29/8/24

कार्यालय ज्ञापन

विषय : राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग) नियम, 1976 ((यथा संशोधित, 1987, 2007, 2011) के नियम 11 के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में।

माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन/अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण अनवरत जारी है। इन निरीक्षणों के दौरान समिति ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त न किए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कई कार्यालयों का निरीक्षण निरस्त/स्थगित किया है तथा मंत्रालय को इस दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं साथ ही इस वर्ष राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) का निरीक्षण इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रस्तावित है।

(संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग) नियम, 1976 ((यथा संशोधित, 1987, 2007, 2011) के नियम 11 के अनुसार :-

1. केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी प्रकार के रजिस्टर, नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी।
2. समस्त मुहरें द्विभाषी प्रारूप (अर्थात प्रथम भाषा हिंदी एवं द्वितीय भाषा अंग्रेजी) में होंगी।

विभागों/कार्यालयों के बोर्ड एवं मुहरें द्विभाषिक प्रारूप (हिंदी और अंग्रेजी)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय UNIVERSITY OF ALLAHABAD	इलाहाबाद विश्वविद्यालय / UNIVERSITY OF ALLAHABAD

उपरोक्त के दृष्टिगत यथाशीघ्र उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें और तत्काल प्रभाव से विभागों के बोर्ड, मुहरें आदि द्विभाषिक प्रारूप (हिंदी और अंग्रेजी) में निर्गत किए जाएं।

नरेन्द्र कुमार शुक्ल 29/8

अध्यक्ष एवं कुलसचिव,

राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इ.वि.वि.

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष/समन्वयक/प्रशासनिक प्रमुख।
2. आई.सी.टी. सेल- वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
3. कुलपति के सचिव को कुलपति महोदया को सादर सूचनार्थ।

प्रवीण श्रीवास्तव 28.08.

हिंदी अधिकारी